पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों को अनुमन्य प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की पुनरीक्षित दर को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है

लखनऊ : 09 मार्च, 2019

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों को अनुमन्य प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की पुनरीक्षित दर को शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की वर्तमान में लागू दर को निम्नानुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

दिनांक 24 अगस्त, 2009 से लागू वर्तमान दर (रु0 प्रतिमाह)	निर्धारित दर (रु0 प्रतिमाह)
(1)	(2)
मूल वेतन का 25 प्रतिशत इस शर्त के साथ कि मूल वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता के योग की अधिकतम सीमा रु0 85,000 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।	मूल वेतन का 20 प्रतिशत इस शर्त के साथ कि मूल वेतन तथा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता के योग की अधिकतम सीमा रु0 2,37,500 प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

- प्रैक्टिस बन्दी भत्ते की दरें भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी दरों के समान अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- प्रैक्टिस बन्दी भत्ता की शर्तें यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

————————————